

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव/मिशन निदेशक (अमृत)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक 08 नवम्बर, 2021

महोदय

कृपया अमृत योजनान्तर्गत सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के माध्यम से कार्यों का भुगतान हेतु आवंटन के विषयगत शासनादेश संख्या 6/2021/बी-1-499/दस-2021 दिनांक 24.6.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के परिपत्र संख्या 1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.3.2021 के अनुक्रम में स्टेट नोडल एजेन्सी के रूप में मिशन निदेशालय स्तर पर नोडल बैंक हेतु पंजाब नेशनल बैंक को नामित किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी व्यवस्था के अनुरूप अमृत मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्राविधान निम्नवत् लागू किये जाने की कार्यवाही की जानी है:-

1. सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के रूप में पंजाब नेशनल बैंक में Zero Balance पर एकाउन्ट खोले जाने की कार्यवाही राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) द्वारा कर ली गयी है एवं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा उपरोक्त मदर एकाउन्ट के साथ जोड़े जाने वाले चाइल्ड एकाउन्ट (Subsidiary Account) के विषयगत Implementing Agency उ०प्र० जल निगम एवं संबंधित निकाय के साथ समन्वय कर Zero Balance पर एकाउन्ट खोले जाने तथा क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

इस विषयगत संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम श्री अमित कुमार सिंह अपने पर्यवेक्षण में यह सुनिश्चित करेंगे कि अमृत योजनान्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा क्रियान्वित प्रत्येक परियोजना हेतु उपरोक्त SNA के साथ खोले जाने वाले चाइल्ड एकाउन्ट (Subsidiary Account) विषयगत परियोजनावार कार्यवाही सुनिश्चित हो जाये और उपरोक्त खाते क्रियान्वित होने हेतु यथापेक्षित बैंकिंग औपचारिकतायें पूर्ण हो जाये।

यह अनुभव किया गया है कि कभी-कभी Implementing Agency उ०प्र० जल निगम द्वारा सिविल और इलेक्ट्रिकल मद में परियोजना के अलग-अलग खाते मुख्यालय को सम्प्रेषित किये जाते हैं। अब भुगतान की नई व्यवस्था के अन्तर्गत जल निगम के द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि सम्बन्धित परियोजना के हेतु केवल एक खाता ही उक्त परियोजना हेतु खोला जाए। तदनुसार खोले गए क्रियाशील खातों का विवरण उ०प्र० जल निगम मुख्यालय द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक

10.11.2021 तक मिशन निदेशालय को प्रमाणित रूप से (हार्ड कापी) उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें परियोजना का नाम; खाता संचालन करने वाले अधिकारी का नाम; पदनाम; एवं खाता संख्या वर्णित हो। उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचना का वैरिफिकेशन राज्य मिशन निदेशालय पर अपर मिशन निदेशक श्री पी0के0 श्रीवास्तव द्वारा किया जायेगा। वैरिफिकेशन के उपरान्त इस विषय में संकलित सूचना के साथ प्रगति विवरण दिनांक 11.11.2021 को सायं तक राज्य मिशन निदेशक (अमृत) को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. ग्रीन स्पेस/पार्कों के विषयगत परियोजना का छोटा वित्तीय आकार होने के दृष्टिगत प्रत्येक निकाय के स्तर पर उपरोक्तानुसार एकाउन्ट खोले जाने एवं क्रियान्वित हो जाने विषयक सूचना संकलित कर तदनुसार अपर मिशन निदेशक, श्री पी0के0 श्रीवास्तव द्वारा राज्य मिशन निदेशक (अमृत) को प्रस्तुत की जायेगी।
3. जैसाकि उ0प्र0 जल निगम द्वारा विचार विमर्श में प्रस्तावित किया गया कि कार्यों के भुगतान के विषयगत परियोजना प्रबन्धक के स्तर पर बिल अपलोड किये जाने और पीपीए के जनरेट होने संबंधित व्यवस्था/मॉड्यूल साफ्टवेयर में विकसित किया जाना है।

नई व्यवस्था में लागू आईटी सिस्टम में बिल उ0प्र0 जल निगम मुख्यालय अथवा अमृत मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नव विकसित आईटी सिस्टम में परियोजना प्रबन्धक के स्तर पर ही बिलों के MIS पर अपलोड करने के पश्चात् पीपीए निर्गत करने की व्यवस्था विद्यमान होगी। इस सम्बन्ध में परियोजना पर राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) द्वारा आवंटित लिमिट के अधीन ही परियोजना प्रबन्धक द्वारा कार्य का भुगतान किया जायेगा।

4. प्रत्येक परियोजना पर विगत माहों में हुई वित्तीय प्रगति और परियोजना में यथापेक्षित परियोजनावार वित्तीय प्रगति के लक्ष्यों का निर्धारण संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम श्री अमित कुमार सिंह द्वारा करते हुए इस माह (माह नवम्बर के अन्त तक) होने वाले सम्भावित भुगतान तथा आगामी 02 माह यथा दिसम्बर 2021 तथा जनवरी 2022 में परियोजना में व्यय के वित्तीय अनुमान माहवार भली-भांति आगणित करते हुए राज्य मिशन निदेशालय को दिनांक 11.11.2021 तक उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि राज्य मिशन निदेशालय द्वारा SNA के रूप में परियोजनावार लिमिट का निर्धारण बैंक को प्रेषित किया जा सके एवं MIS सिस्टम पर भी अपलोड कर इस विषयक कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके।
5. उपरोक्त व्यवस्था के लागू किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में लागू MIS सिस्टम संबंधित पोर्टल www.jnupepayment.in पर फील्ड स्तर से बिल अपलोड किये जाने की सुविधा दिनांक 10.11.2021 से 25.11.2021 तक उपलब्ध नहीं रहेगी और 10.11.2021 तक सिस्टम में अपलोड कर दिये गये बिल के भुगतान के आवंटन का निर्णय पूर्ववत् व्यवस्था के अनुसार अमृत मिशन निदेशालय/उ0प्र0 जल निगम

मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। दिनांक 25.11.2021 के पश्चात् उपरोक्तानुसार प्रस्तर-3 में वर्णित नई व्यवस्था के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

6. नई व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण :- नई व्यवस्था के अनुरूप MIS सिस्टम पर कार्य किये जाने हेतु संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम श्री अमित कुमार सिंह के साथ-साथ अपर मिशन निदेशक (अमृत) श्री पी0के0 श्रीवास्तव के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि एवं MIS सिस्टम विकसित करने वाली संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजरवार विस्तृत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा। अधिकारियों को इस सिस्टम पर प्रशिक्षित किये जाने हेतु मुख्यतः द्वय अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एवं श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, अपर मिशन निदेशक (अमृत) द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा किसी प्रकार की तकनीकी अथवा MIS संबंधी विषय हेतु बैंक के प्रतिनिधि अथवा MIS डेवलपर को उक्त प्रशिक्षण सत्र में सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगे।

अतएव द्वय अधिकारीगण से यह अपेक्षा है कि उपरोक्त विषय की महत्ता के दृष्टिगत स्वयं अपने स्तर पर उक्त लागू होने वाली नवीन व्यवस्था के विषयगत गम्भीरता पूर्वक अध्ययन कर लें। अग्रेतर यह ध्यान रखा जाये कि एक प्रशिक्षण सत्र के समय अधिकतम 10 परियोजना प्रबन्धकों के साथ उक्त सत्र आयोजित किये जाये, जिससे की समस्त को विस्तृत रूप से भली-भांति भिज्ञ कराया जा सके। उपरोक्तानुसार आहूत किये जाने वाली प्रशिक्षण सत्रों की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम श्री अमित कुमार सिंह द्वारा दिनांक 12.11.2021 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

(अनुराग यादव)

सचिव/मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, अपर मिशन निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
4. समस्त परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 जल निगम।

आज्ञा से

(अनुराग यादव)

सचिव/मिशन निदेशक